बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, पटना

(निबंधित कार्यालयः विद्युत भवन, बेली रोड पटना–800001)

CIN – U40102BR2012SGC018889

मानव संसाधन एवं प्रशासन विभाग

संकल्प सं0:– III/Accts/Alleg-26002/19 394 दिनांकः– 03/02/2020

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की पुस्तकों में गलत रूप से अंकित राज्य सरकार के ऋण और उस पर भारित ब्याज की अनियमितता के मामले में निदेशक मंडल द्वारा 76वीं बैठक में पारित संकल्प के आलोक में श्री प्रमोद तिवारी, महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए विभागीय करवाई संचालित की गई।

जाँच पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार जाँच की प्रक्रिया पूर्ण कर सभी अभिलेखों के साथ जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जाँच पदाधिकारी द्वारा श्री तिवारी के विरुद्ध लगाये गये सभी 6 आरोपों को प्रमाणित पाया गया। तदुपरान्त जाँच प्रतिवेदन एवं अन्य सम्बन्धित अभिलेखों के समीक्षोपरान्त जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री तिवारी से द्वितीय कारण पृच्छा करने का निर्णय लिया गया। श्री तिवारी द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर में कोई ऐसा तथ्य नहीं रखा गया है जिससे यह संपुष्ट होता हो कि श्री प्रमोद तिवारी द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए वित्तीय अनियमितता नहीं की है।

उक्त सन्दर्भ में जांच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि ऊर्जा विभाग (बिहार सरकार) के पत्रांक 2175 दिनांक 30.06.2014 द्वारा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पुनर्गठन के पश्चात् पुनर्गठित पाँचों कम्पनियों को राज्य योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली राशि को अंश पूंजी के रुप में निवेश की स्वीकृति प्रदान की गई थी परन्तु आरोपित पदाधिकारी श्री प्रमोद तिवारी के द्वारा BSPTCL को बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पुनर्गठन से पत्रांक 2175 दिनांक 30.06.2014 के निर्गमन तक प्राप्त रूपया 195.9595 करोड़ की राशि को जान–बूझ कर अपनी सुविधानुसार ऋण के रूप में गलत प्रकार से में लेखांकित किया गया तथा कंपनी प्रबंधन को अपूर्ण एवं भ्रामक जानकारी देकर वित्तीय अनियमितता की गई है। साथ ही श्री प्रमोद तिवारी के द्वारा महालेखाकार एवं आयकर विभाग जैसे वैधानिक संस्थाओं के समक्ष गलत एवं भ्रामक सूचनाऐं प्रस्तुत की गई। आरोपित पदाधिकारी श्री प्रमोद तिवारी के द्वारा BSPTCL एवं BSP(H)CL के मध्य होने वाले लेन–देन को अनावश्यक रुप से भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने के उद्देश्य से BSPTCL एवं ऊर्जा विभाग और वित्त विभाग के मध्य का बनाकर प्रस्तुत किया गया। इस संदर्भ में श्री प्रमोद तिवारी ने दिनांक 17.08.2016 के अपने प्रस्ताव पर प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्सिमिशन कंपनी लिमिटेड से प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार को संबोधित एक पत्र पर अनुमोदन प्राप्त किया। इस प्रस्ताव पर कंपनी प्रबंधन से अनुमोदन प्राप्त करने का श्री प्रमोद तिवारी का एक

मात्र उद्देश्य विभिन्न अंकेक्षण आपत्तियों से अपने बचाव के लिए अभिलेख तैयार करना था क्योंकि श्री प्रमोद तिवारी ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्सिमिशन कंपनी लिमिटेड से प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार को संबोधित पत्र प्रारूप पर अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त इस पत्र को निर्गत नहीं होने दिया। आरोपित पदाधिकारी श्री प्रमोद तिवारी को वर्ष 2017–18 के अंकेक्षण के क्रम में जब यह अंदेशा हो गया कि उनके द्वारा वर्ष 2014 से ही की जा रही वित्तीय अनियमितता संज्ञान में आ सकती है तो श्री प्रमोद तिवारी के द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल की 69वीं बैठक में बिना प्रबंध निदेशक की किसी पूर्व अनुमति के एक बार पुनः अपूर्ण एवं गलत तथ्यों के आधार पर अन्य राशि रूपया 3616.7441 करोड़ के साथ रूपया 195.9595 करोड़ को जोड़ते हुए यह प्रस्ताव दिया गया कि यह समस्त रूपया 3812.7036 करोड़ की राशि अंशपूँजी के आवंटन योग्य है और श्री प्रमोद तिवारी के द्वारा अपने स्वेच्छाचारिता से बनाये तथाकथित ऋण को अंशपूंजी में परिवर्तित करा लिया गया। श्री प्रमोद तिवारी के द्वारा इस संदर्भ में प्रबंध निदेशक से कोई अनुमोदन प्राप्त ही नही किया गया है। निदेशकमंडल के समक्ष गलत तथ्य देने का यह अत्यन्त ही गंभीर मामला है। आरोपित पदाधिकारी श्री प्रमोद तिवारी ने सदैव एक सोची समझी साजिश के तहत अपने पद का दुरूपयोग करते हुए स्वेच्छाचारी आचरण और जालसाजी प्रवृत्ति के तहत अपनी सुविधानुसार रूपया 195.9595 करोड़ का ना केवल गलत लेखांकन किया है अपितु कंपनी प्रबंधन एवं निदेशक मंडल को भी विरोधाभासी, अपूर्ण एवं तथ्यों के आधार पर गुमराह करने का कदाचार किया है। श्री प्रमोद तिवारी के द्वारा अपनी सुविधानुसार ऋण के गलत प्रकार से में लेखांकित किये जाने के कारण कम्पनी को रूपया 30.19 करोड़ के अपरिहार्य कर दायित्व का भुगतान करना पड़ा है । आरोपित पदाधिकारी के द्वारा आयकर विभाग को दिये गये गलत तथ्यों के कारण निर्धारण प्रक्रिया में कर दायित्व बढ़ने की संभावना है। आरोपित पदाधिकारी श्री प्रमोद तिवारी के द्वारा रूपया 144.59 करोड़ की राशि को जान–बूझ कर अपनी सुविधानुसार ऋण के रूप में गलत प्रकार से प्रस्तुत किया गया। श्री प्रमोद तिवारी ने कंपनी के वार्षिक लेखों में राज्य योजना से स्वीकृत रू० 200.86 करोड़ में से वित्तीय वर्ष 2013–14 में बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड से प्राप्त रूपया 55.89 करोड को तो अतंर कंपनी मद में लेखांकित किया वहीं दूसरी तरफ वित्तीय वर्ष 2016–17 में होल्डिंग कम्पनी से प्राप्त रूपया 144.59 करोड को राज्य सरकार के ऋण के रूप में लेखांकित किया और बिना किसी प्रधिकार के इस तथाकथित ऋण पर मनमाने तरीके से 10.50 प्रतिशत की दर से ब्याज भी भारित किया।

जांच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा दिए गए आदेश संख्या 2175 दिनांक 30.06.2014 की अवहेलना की गई है। श्री प्रमोद तिवारी द्वारा जहाँ एक तरफ तथाकथित ऋण की राशि पर वर्ष 2014 से वर्ष 2018 तक की अवधि में ब्याज के रूप में